भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4316
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

समान नागरिक संहिता

4316. श्री राजकुमार रोत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है ;
(ख) संविधान सभा की प्रारूप समिति में व्यक्त किए गए इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि सभी वर्गों/समुदायों की सहमति के बिना कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता है, विभिन्न राज्यों में समान नागरिक संहिता को लागू करते समय जिन वर्गों और समुदायों के साथ परामर्श किया गया उनका ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में समान नागरिक संहिता को लागू करते समय समूहों/व्यक्तियों से परामर्श किया गया था और उनकी सहमति ली गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(घ) अनुसूचित क्षेत्रों पर उक्त संहिता के कार्यान्वयन का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : समान नागरिक संहिता को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं ।

(ख) : भारत सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने और उस पर सिफारिशें करने का प्रस्ताव भारत के 21वें विधि आयोग (भा.वि.आ.) को भेजा है ।इस संबंध में, भारत के 21वें विधि आयोग द्वारा व्यापक चर्चा के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया था । यद्यपि, उनके द्वारा इस विषय पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई ।भारत के 22वें विधि आयोग ने तारीख 14.06.2023 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इस विषय पर आम जनता और मान्यताप्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों और सुझावों को आमंत्रित करने का फिर से निर्णय लिया ।भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल इस विषय पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना ही समाप्त हो गया है ।विधि आयोग ने, अपनी रिपोर्ट बनाते समय यह सुनिश्चित किया कि विधि सुधारों के लिए प्रस्ताव तैयार करने में लोगों/हितधारकों के व्यापक वर्गों से परामर्श किया जाए । आयोग, इस प्रक्रिया में व्यक्तियों, व्यावसायिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों आदि से परामर्श करता है ।

(ग) : स्वीय विधियां, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-3-समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 से संबंधित हैं, और इसलिए, राज्यों को उन पर विधि बनाने का अधिकार है ।साथ ही, जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों को संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (1) के खंड (ज) से खंड (ञ) के अधीन संपत्ति की विरासत, विवाह और विवाह-विच्छेद तथा सामाजिक रूढ़ियां जैसे मामलों में विधि बनाने का अधिकार है ।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

****